

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज—पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	<i>Published by Authority</i>
	चैत्र 6, रविवार, शाके 1933—मार्च 27, 2011 <i>Chaitra 6, Sunday, Saka 1933—March 27, 2011</i>	

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, March 27, 2011

No. F. 2(8) Vidhi/2/2011.—The following Act of the Rajasthan State Legislature which received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011 is hereby published for general information:—

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE
MARKETS (SECOND AMENDMENT) ACT, 2011
(Act No. 6 of 2011)

[Received the assent of the Governor on the 25th day of March, 2011]

An

Act

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:—

1. Short title and commencement.— (1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30th December, 2010.

2. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 38 of 1961.— The existing sub-section (5) of section 7 of the Rajasthan

Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter referred to as the principal Act, shall be deleted.

3. Amendment of section 27-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.— In sub-section (1) of section 27-A of the principal Act, for the existing expression “total number of members”, appearing after the expression “exceeds one-third of the” and before the expression “of the elected market committee”, the expression “total number of elected members” shall be substituted.

4. Repeal and savings.— (1) The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 06 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

सत्य देव टाक,

Principal Secretary to the Government.

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(गुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 27, 2011

संख्या प. 2 (8)/विधि/2/2011.-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं. 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "दी राजस्थान एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट्स (सैकण्ड अमेण्डमेन्ट) एक्ट, 2011 (एक्ट नं. 6 ऑफ 2011)" का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है:-

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011

(2011 का अधिनियम संख्यांक 6)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 25 मार्च, 2011 को प्राप्त हुई]

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 30 दिसम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. **1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 7 का संशोधन.**-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की विद्यमान उप-धारा (5) हटायी जायेगी।

3. **1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 27-क का संशोधन.**-मूल अधिनियम की धारा 27-क की उप-धारा (1) में अभिव्यक्ति "निर्वाचित मण्डी समिति के" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "के एक-तिहाई" के पूर्व आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "सदस्यों की कुल संख्या" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. **निरसन और व्यावृत्तियां.**-(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 06) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

सत्य देव टाक,

प्रमुख शासन सचिव।